GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)–M–GSM (M-I)-2202

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: PANKAJ RAJPUT **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): _____ **Reg. Number:** _____

Center & Date: _____ **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*:** _____

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.	4	11.	7.5
2.	4	12.	7
3.	4.5	13.	7.5
4.	4	14.	6.5
5.	4	15.	7.5
6.	4.5	16.	6.5
7.	4	17.	8
8.	4.5	18.	7
9.	4	19.	6.5
10.	4	20.	7½
Grand Total (सकल योग)	105		

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

[I] प्रस्तुतीकरण, भाषा प्रवाह, वाक्य विन्यास बेहतर।

[II] उत्तर प्रस्तुतीकरण अच्छा है।

[III] कहीं-कहीं तथ्यों/आँकड़ों की कमी रही - जैसे- प्रश्न 10, 12, 14, 19।

[IV] प्रशंसनीय प्रयास। ऐसे जारी रखें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1\. भारत में नियामक निकायों के कामकाज को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? उन तरीकों के बारे में बताइये जिनसे इन्हें संबोधित किया जा सकता है? (150 शब्द) 10

What are the challenges affecting the functioning of regulatory bodies in India. Enumerate ways in which these can be addressed? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संदर्भ में पृष्ठभूमि बताएँ

किसी क्षेत्र विशेष की संस्थाओं के द्वारा कानूनों, नियमों व विनियमों का पालन करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र विशेष में एक विनियामक संस्था का गठन किया जाता है, जैसे- RBI बैंकिंग सेक्टर की विनियामक संस्था है जबकि SEBI वित्तीय क्षेत्र (शेयर बाज़ार) की।

चुनौतियाँ

① कानूनों, नियमों एवं विनियमों में स्पष्टीकरण का अभाव। उदा०?

② राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता।

③ नियामक निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार।

④ असक्षम अधिकारियों की नियुक्ति।

⑤ राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों की नियुक्ति।

⑥ अपर्याप्त अधिकार व शक्तियाँ।

Points अच्छे हैं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

संबोधित करने के तरीके

① अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।

② सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

③ क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति अर्थात् राजनीतिक नियुक्तियों को हतोत्साहित करना।

④ कानूनों, नियमों व विनियमों में जटिलता व अतिव्यापन को कम करना।

Good

अतः नियामक निकायों की उत्कृष्टता को बढ़ाकर हम देश में Ease of doing business को बढ़ावा देकर FDI को आकर्षित कर सकते हैं और साथ ही बड़े बैंकिंग व शेयर बाज़ार घोटाले आदि पर रोक लगा सकते हैं।

Good

4

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

2. न्यायेत्तर हत्याओं (Extra-judicial Killings) के कारणों की पहचान कीजिये और उन उपायों पर चर्चा कीजिये जिनकी मदद से इन्हें रोका जा सके। (150 शब्द) 10

Identify the reasons behind extra-judicial killings and discuss the measures that are required to be taken. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

न्यायेत्तर हत्याओं से तात्पर्य ऐसी हत्याओं से है जो न्यायालय के आदेश के बगैर की जाती हैं, जैसे- Custodial Death, Fake Encounter आदि।

* मॉब लिंचिंग, कंगारू कोर्ट

→ देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास करें।

कारण

① विलंबकारी न्याय प्रणाली, हमारे देश में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। (PRS Legislative Research की Report)

② जनता की सरकार से बढ़ती त्वरित न्याय की अपेक्षाएँ, जिसके कारण कई बार सरकारों को Fake Encounter का आदेश देना पड़ता है। → ऑडर ऑफ दर्म प्रयोग के लिए किये गये (जन दबाव)

→ * दोनों सरकार पर दोषारोपण करें।

③ हमारी पुलिस व्यवस्था द्वारा अपर आरोपियों से जुर्म का सच उगलवाने के उद्देश्य से किया जाने वाला थर्ड डिग्री का इस्तेमाल, जो कि custodial Death को बढ़ावा देता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

④ पुलिस सुधारों का न हो पाना।

रोकने के उपाय —

① Fake Encounter, Custodial Death आदि के मामलों की एक स्वतंत्र जाँच समिति द्वारा गहन-जाँच पड़ताल कर दोषियों को दंड देने की सिफारिश की व्यवस्था।

② जनता में जागरूकता का प्रचार-प्रसार, ताकि वह उचित न्याय की माँग की हानियों को समझ सके।

③ सर्वोच्च न्यायालय की पुलिस सुधारों पर Guidelines को लागू करना।

अतः Extra-Judicial Death को हमें रोकना ही होगा, वरना धीरे-धीरे 'विधि के शासन' का रूपांतरण 'पुलिस के शासन' में हो जाएगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिये इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

What do you understand by the Uniform Civil Code? Examine its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation. (150 words) 10

समान नागरिक संहिता (UCC) का अर्थ है देश में सभी धर्मों के सिविल कानूनों का समान होना जिनमें विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार व भरण-पोषण आदि संबंधी प्रावधान आते हैं। DPSP के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है।

प्रासंगिकता —

① U.C.C. के आने से न्यायालय की नज़र में सभी धर्म समान हो जाएँगे, जिससे किसी एक धर्म को ठगा हुआ महसूस नहीं होगा।

② महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा क्योंकि कुछ धर्मों में महिला विरोधी सिविल कानून मौजूद, जैसे- इस्लाम में पुरुष को 4 विवाह की स्वतंत्रता।

③ देश में समान सिविल संहिता होने से सामुदायिकता में कमी की संभावना है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

अनु० 14, 21
अनु० 44
V/S
अनु० 25

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ –

① इस्लाम धर्म के नेताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

② U.C.C. को लागू करने पर देशव्यापी दंगे भड़कने की संभावना, जो कि कानून व व्यवस्था हेतु चुनौतिपूर्ण।

③ देश में सामाजिक सौहार्द्र के बिगड़ने पर देश के दुश्मनों को देश की एकता-अखंडता व संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने का अवसर।

* अल्पसंख्यक शोषण के बहाने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना
→ USA
→ OIC

④ अल्पसंख्यक स्वयं पर बहुमत/बहुसंख्यकों की तानाशाही के रूप में इसे देख सकते हैं।

अतः U.C.C. को लागू करते समय यह ध्यान रखा जाए कि इसमें अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेना प्राथमिक होना चाहिए, ताकि इसके लागू होने पर Soft Power की देश की छवि बनी रहे।

Good 4½

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. अन्य कारणों के अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियों ने निचली न्यायपालिका में रिक्तियों में योगदान दिया है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

Systemic flaws in the appointment process among other reasons have contributed to vacancies in the lower judiciary. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

PRS Legislative Research की Report के अनुसार देश में वर्तमान में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिसके कारण Justice Delay is Justice Denied की अवधारणा को बल मिल रहा है। इसका एक बड़ा कारण न्यायालय में बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ हैं।

Good

निचली न्यायपालिका में रिक्तियों के कारण →

① All India Judicial Service का अभी तक लागू नहीं होना।

② राज्य लोक सेवा आयोगों की विलंबकारी भर्ती प्रक्रिया।

③ भर्तियों को आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों का उदासीन रवैया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

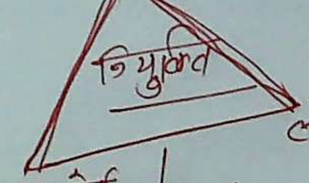

नियुक्ति

लोक सेवा आयोग

हाइकोर्ट

समन्वय अभाव

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

④ Vacant Seats की बहुत अधिक संख्या होने पर भी कम Vacancies निकालना, ताकि खर्चा बचाया जा सके।

आगे की राह

कुछ अन्य कारणों का उल्लेख करें

① All India Judicial Service को लागू किया जाए।

② लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया को नियमित करने के साथ तेज करें।

③ विभिन्न प्रयासों इस क्षेत्र में देश के Brilliant Mind को आकर्षित किया जाए।

अतः निचली न्यायपालिका में प्रणालीगत खामियों को दूर कर रिक्तियों को नियमित व तेजी से भरा जाए, ताकि नागरिकों को विलंबकारी न्याय व्यवस्था का दंश न झेलना पड़े।

4

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के साथ, संसद ने सहकारी संघवाद के ताने-बाने को हिला दिया है। संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

With the Citizenship (Amendment) Act 2019, the Parliament has shaken the fabric of cooperative federalism. Discuss the statement with reference to the rights and obligations of the States against a law passed by the Parliament. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सहकारी संघवाद के अंतर्गत राज्य व संघ एक-दूसरे का सहयोग करते हुए देश के कल्याण हेतु कार्य करते हैं, किन्तु CAA, 2019 के प्रावधानों का कुछ राज्यों द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध किया गया।

CAA, 2019 के प्रावधान

① 31 Dec, 2014 तक भारत में आ चुके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि, जो कि पाकिस्तान, बंग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक थे और वहाँ धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए थे, को भारत की नागरिकता देना।

② इसमें मुस्लिम धर्म को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था क्योंकि ये लोग उपर्युक्त देशों में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

कुछ राज्यों की आपत्तियाँ

• अनु० 14 का उल्लंघन

① केरल, प० बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने इस कानून का पुरज़ोर विरोध किया।

• धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना के विपरीत

② कुछ राज्यों द्वारा इसे भेदभावकारी कानून की संज्ञा दी गयी।

③ कुछ राज्य इसे अल्पसंख्यकों के शोषण के हथियार के रूप में देख रहे हैं।

ध्यातव्य है कि 'नागरिकता' संघ सूची का विषय है और इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, अतः इस संदर्भ में राज्यों का कोई अधिकार नहीं हैं, हालाँकि राज्यों को इस प्रकार के बड़े निर्णय लेने से पहले विश्वास में यदि संघ द्वारा लिया गया होता, तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. भारतीय संविधान में किये गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the relation between the President and the Council of Ministers as provided for in the Indian Constitution. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान राज्य के प्रमुख (Head of State) के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका को स्वीकार करता है, भारतीय संघीय सरकार द्वारा किये गये ~~प्रत्येक~~ कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

• अनु० 53 का उल्लेख करें।

① अनुच्छेद-74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

② अनुच्छेद-78 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कार्यपालिका के कार्यों की जानकारी ले सकता है।

• अनु० 75

③ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करेगा, हालाँकि वह एक बार मंत्रिपरिषद् की सलाह को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

④ मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है।

⑤ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बरखास्त कर सकता है।

⑥ राष्ट्रपति मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है और कार्य आवंटन के नियम बनाता है।

⑦ प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों हेतु राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।

* परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार का उल्लेख करें

अतः राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद् के सौहार्दपूर्ण संबंधों से देश का शासन सुचारु रूप से चलाने से देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की सुरक्षा के साथ-साथ लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

4½

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. भारत में न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिये। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भारत में न्याय वितरण की स्थिति में सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है? (150 शब्द) 10

Discuss the various issues plaguing the judicial system in India. How alternate dispute resolution mechanisms can help improve the status of justice delivery in India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका व एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, जो कि देश में न्याय वितरण का प्रमुख अभिकरण है।

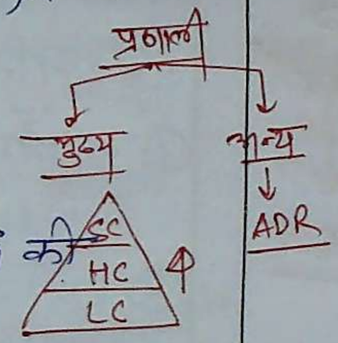

विभिन्न मुद्दे

① 4.5 करोड़ से अधिक मामलों की न्यायालय पर लंबितता।

② बड़े स्तर पर न्यायाधीशों के पदों का खाली रहना।

③ Higher Judiciary में भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेज़ी का बोलबाला।

④ महँगी न्याय प्रणाली, वकीलों की फीस का महँगा होना।

⑤ न्यायालयों में व्याप्त भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार की समस्या।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

भारत में वैकल्पिक ~~न्याय~~ विवाद समाधान तंत्र के अंतर्गत लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, अधिकरण आदि आते हैं। जो कि, न्याय वितरण की स्थिति में सुधार करते हेतु अति महत्त्वपूर्ण हैं -

ADR की विशेषताएँ → महत्व

① न्यायालयों पर से मामलों के भारत में कमी।

② गरीबों व वंचितों की ~~न्~~ न्याय तक आसान पहुँच सुनिश्चित।

③ मामलों का तेजी से निपटान।

④ न्याय प्राप्त ~~में~~ करने में आम-आदमी को होने वाले खर्च में कमी।

आगे की राह

अतः वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को और अधिक बढ़ावा देकर हम अपने नागरिकों को Justice Delay is Justice Denied के दंश से बचा सकते हैं।

(4)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

8. भारत में सुशासन की कुछ प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिये। इन बाधाओं से संकेत लेते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Minimum Government, Maximum Governance की अवधारणा पर आधारित सुशासन के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता, वंचित वर्गों के प्रति करुणा, समानुभूति आदि तत्त्व विद्यमान ~~होते~~ होते हैं।

हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास करें

भारत में सुशासन की प्रमुख बाधाएँ -

① सिविल सेवकों के अंदर ब्रिटिश औपनिवेशिक परंपरा से प्राप्त अभिजात्यवादी दृष्टिकोण।

② पारदर्शिता के स्थान पर गोपनीयता की संस्कृति।

③ खुद को जनता के सेवक के स्थान पर मालिक समझने की प्रवृत्ति।

Good

④ राजनीति का अपराधीकरण।

⑤ चुनावों में धन-बल का बढ़ता प्रयोग।

⑥ प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या।

⑦ अकर्मण्यता व लालफीताशाही

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व शर्त

① 'लोककल्याणकारी राज्य' के आदर्श का सिविल सेवकों व राजनेताओं के भीतर समावेश।

② सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का व्यापक स्तर पर प्रयोग।

③ RTI, Citizen Charter, लोकपाल एवं लोकायुक्त आदि के बारे में नागरिकों में जागरूकता का सृजन।

④ चुनाव में धन-बल के प्रयोग पर लगाम व राजनीति के अपराधीकरण को रोकना।

अतः देश में Good Governance (सुशासन) स्थापित कर हम न केवल सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी साकार कर सकते हैं।

4½

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

9. सामाजिक लेखापरीक्षा आदर्श और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करती है। इस कथन की विवेचना कीजिये और भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा के संस्थानीकरण में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Social audit helps to narrow gaps between vision and reality". Examine the statement and also discuss the impediments in the institutionalization of social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

• 73वाँ संविधान क्यों?
• मनरेगा में SA का प्रावधान

Social Audit के अंतर्गत नागरिकों, NGOs, Civil Society आदि द्वारा सरकार द्वारा कराये गये कार्यों का Audit किया जाता है और इस रिपोर्ट को सरकारी संस्था को जमा किया जाता है, ताकि निधि का दुरुपयोग जैसी कमियाँ होने पर उन्हें सुधार जा सके।

Social Audit – आदर्श व वास्तविकता के बीच अंतर को कम करने में मदद करती है

①'निधि के दुरुपयोग' को उजागर कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है

② सरकार को प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर कराए गए कार्यों की सटीक जानकारी प्रदान करती है

③ सरकार की योजनाओं के धरातल पर

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी मिल जाती है, व उसमें सुधार करना का अवसर।

④ Auditing में नागरिकों की भागीदारी से सरकार व जनता के बीच गैप कम होता है

~~केवल~~

Social Audit के संस्थानीकरण में आने वाली बाधाएँ ⇛

① राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव।

② नागरिकों के द्वारा भी अनिच्छा व्यक्त करना।

③ Social Auditing का प्रावधान होने के बाद भी MGNREGA में बड़े-बड़े घोटाले।

⑤ Social Audit कर जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं।

अतः उपर्युक्त बाधाओं को दूर कर हम Social Audit प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का एक बड़ा अस्त्र हथियार बना सकते हैं।

उचित है।

④

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

10. प्रस्तावना न तो निषेध या सीमा का स्रोत है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Preamble is neither a source of prohibition nor limitation. Discuss in the context of various judgments of the Supreme Court. (150 words) 10

'उद्देशिका' में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता; बंधुता जैसे आदर्शों का उल्लेख है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

① बेरूबारी केस (1959) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'प्रस्तावना' संविधान का भाग नहीं है और न ही ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही ये विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है; हालाँकि इसे संविधान की व्याख्या हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है।

Good

② केशवानंद भारती केस (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेरूबारी केस के इस कथन को पलट दिया गया कि 'प्रस्तावना' संविधान का भाग नहीं है, इस केस में 'प्रस्तावना'

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

को संविधान का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया, किन्तु अब भी यह न तो निषेध है और न ही सीमा का स्त्रोत अर्थात् 'प्रस्तावना' के आधार पर न्यायालय द्वारा किसी कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है

(3) एक अन्यवाद में में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना में उल्लिखित 'पंथनिरपेक्षता' को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया गया। अतः अब मूल ढाँचे के सिद्धांत के तहत कार्यवाही हो सकती है

एस-आर बोम्मई केस 1994

अतः प्रस्तावना न तो निषेध है और न ही सीमा का स्त्रोत, किन्तु मूल ढाँचे के सिद्धांत के तहत किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है

D-मॉडल उत्तर देखें

4

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के आलोक में इन संशोधनों के महत्त्व की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the significance of 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts with some of their important provisions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 'पंचायतीराज' और 74वें संविधान संशोधन के तहत 'नगरीय निकाय' को संवैधानिक दर्जा दिया गया; यह दोनों संशोधन के मूल में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व Grassroot Democracy जैसे दर्शन विद्यमान हैं।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

(1) 'ग्राम सभा' की स्थापना

(2) 'त्रिस्तरीय पँचायतीराज प्रणाली'

(3) SC, ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य आरक्षण।

(4) महिलाओं को सभी सीटों (अध्यक्ष व सदस्य) पर 33% आरक्षण।

(5) OBC हेतु आरक्षण का प्रावधान, किन्तु यह राज्य विधानसभा पर छोड़ा गया है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

महत्व

① 'ग्राम सभा' की स्थापना से नागरिकों की योजना व नीति-निर्माण में भागीदारी (भागीदारीमूलक लोकतंत्र को बढ़ावा)

② वंचित वर्गों (SC, ST, OBC, महिलाएँ) को राजनीति की मुख्यधारा में आना।

③ गांधी जी के 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा को साकार करना।

④ 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' के आदर्श को व्यावहारिक धरातल पर लागू करना।

74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

① वंचित वर्गों (SC, ST, महिलाओं) को अनिवार्य आरक्षण।

② शिक्षा, पेयजल, ड्रेनेज, स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों का नगरीय निकायों को स्थानांतरण।

③ Art-243 'Y' के तहत 'राज्य वित्त आयोग' की स्थापना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

④ 'राज्य निर्वाचन आयोग' की स्थापना।

⑤ 'जिला नियोजन समिति' की स्थापना।

महत्व -

① • आरक्षण से वंचित वर्गों का राजनीति की मुख्यधारा में समावेशन।

② 'शिक्षा' जैसे विषय नगरीय निकायों को सौंपने से सस्ती व सुलभ शिक्षा को बढ़ावा, फलतः साक्षरता दर में वृद्धि।

③ 'स्वच्छता' जैसे विषय सौंपना, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू।

④ राज्य निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु महत्वपूर्ण।

अतः 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम देश में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, Participatory Democracy व Grassroot Democracy की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? संसदीय विशेषाधिकारों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। 'संसदीय विशेषाधिकारों' के कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारण बताइये। इस समस्या के समाधान के उपायों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द) 15

What are parliamentary privileges? Explain the significance of Parliamentary privileges. Give reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. Mention measures to address this problem. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनुच्छेद- 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकारों का ज़िक्र किया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक विशेषाधिकारों दोनों पर बल दिया गया है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

- सांसदों व महान्यायवादी को सदन में अभिव्यक्ति की आजादी
- सिविल मामलों में सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से संरक्षण
- सदस्यों को सदन में दिये गये किसी भाषण हेतु न्यायालय में जवाबदेह न ठहराना।

सामूहिक विशेषाधिकार

- सदन की गुप्त बैठक को प्रकाशित न करने देने की स्वतंत्रता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- कार्यवाही में व्यवधान डालने पर किसी सांसद या बाहर के व्यक्ति को दंडित करना, जैसे- महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा अर्नब गोस्वामी को दंडित किया गया।

महत्त्व

1. सदन की कार्यवाही को अबाध रूप से चलाने हेतु महत्त्वपूर्ण।
2. सदन की गरिमा अक्षुण्ण रहती है।
3. अलगाववादियों, विघटनकारी तत्वों को देश की संसद की कार्यवाही में व्यवधान कर देश में अराजकता फैलाने से रोकने हेतु महत्त्वपूर्ण।

Points अच्छे है

संसदीय विशेषाधिकारों के कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारण →

1. अधिकारों में विद्यमान जटिलता
2. बहुत अधिक आवश्यकता का महसूस न होना।
3. राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव

मॉडल उत्तर दे...

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

④ संसद पर विद्यमान विधि-निर्माण कार्य का भारी दबाव।

समस्या समाधान के उपाय —

① एक समिति बनाकर संसदीय विशेषाधिकारों को कानूनबद्ध करने पर बल देना, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।

② इन संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों हेतु करने पर दण्ड का प्रावधान किया जाए।

③ सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान करने पर इन प्रावधानों का प्रयोग किया जाए।

अतः इन्हें सहितावद्ध कर और अधिक, तार्किक, लक्षित व गैर-भेदभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

13. भारत में न्यायिक समीक्षा के महत्त्व की व्याख्या कीजिये। भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधानों के साथ न्यायिक समीक्षा के दायरे पर चर्चा कीजिये? (250 शब्द) 15

Explain the significance of judicial review in India. Discuss scope of judicial review with key provisions in the constitution with respect to judicial review in India? (250 words) 15

संसद या राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि या कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियम या विनियम की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा करना और उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करना, यह सब Judicial Review के अंतर्गत आता है।

महत्त्व

① संसद को या राज्य विधानमंडल को या कार्यपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकना।

② शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को व्यावहारिक रूप पर लागू करना।

③ संविधान की आत्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

④ संविधानवाद को बनाए रखना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

⑤ 'संघवाद' की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

⑥ 'मूल अधिकारों' की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

⑦ संविधान के मूल ढाँचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

⑧ संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देना।

⑨ रूपांतरणकारी संविधानवाद को बढ़ावा देना।

संवैधानिक प्रावधान —

① Art-13
↓
यदि कोई विधि, नियम, विनियम, आदेश आदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह जिस सीमा तक उल्लंघन करता है ~~शून्य~~ प्रभावशून्य हो जाएगा; इसके आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

अनु० 32

② Art-137
↓
न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन

अनु० 131-137

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कर सकता है।

③ केशवानंद भारती केस (1973)
↓
'मूल ढाँचे का सिद्धांत' के तहत न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

न्यायिक समीक्षा के दायरे

① 24 April, 1973 के पहले नवीं अनुसूची में डाले गये किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।

आई-आर-कोएल्हो वाद।

② 'मूल अधिकार' व 'मूल ढाँचे' के अलावा अन्य किसी मामले में न्यायिक समीक्षा नहीं।

अतः देश में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की सुरक्षा, मूल अधिकारों की सुरक्षा, संविधान के मूल ढाँचे की सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण है।

* मंत्रीपरिषद की सलाह
* शर्तों के साथ राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय
* आपातकाल
* क्षमादान के निर्णय की न्यायिक समीक्षा।

7½

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. राज्य के सवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डालिये। 'केंद्र के एजेंट' के रूप में राज्यपाल की भूमिका की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15
Highlight the role of governor as the constitutional head of the state. Critically examine the governor's role as 'an agent of the center'. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अनु० 153-162 प्रावधान

'राज्यपाल' राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसके कारण राज्य की कार्यपालिका द्वारा किये गये राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं।

राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका →

1. विधानसभा के बहुमत दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति।
2. प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो कि राज्य विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है
3. राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति
4. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति।
5. 'राज्य निर्वाचन आयोग' के अध्यक्ष की नियुक्ति

मॉडल के उदाहरण दें, इत्यादि

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति देना, पुनर्विचार हेतु वापस भेजना या राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना।

'केन्द्र के एजेंट के रूप में'

1. 'संवैधानिक तंत्र' की विफलता होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना।
2. राज्य की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट को गृहमंत्रालय भेजना।
3. विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। (अनु० 200)

सीमायें –

1. 'त्रिशंकु' विधानसभा की स्थिति होने पर कई बार राज्यपाल केन्द्र में सत्ताधारी दल के साथ खड़े दिखाई देते हैं।
2. स्थितियाँ ठीक होने पर भी कई बार केन्द्र के इशारे पर संवैधानिक तंत्र की

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

विकलता घोषित करते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं।

अतः राज्यपाल को अपनी राजनीतिक विचारधारा से तटस्थ रहते हुये राज्य सरकार के साथ सौहार्द्रपूर्ण तरीके से जनकल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग की सिफारिशों का उल्लेख कर सकते हैं

6½

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

15. क्या दल-बदल विरोधी कानून विचार विमर्श करने वाली संस्थाओं के तौर पर हमारी विधायिकाओं के कामकाज के लिये बाधा है, जो कि कार्यपालिका को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Is the anti-defection law detrimental to the functioning of our legislatures as deliberative bodies, which hold the executive accountable to the citizens? Critically analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

52 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के तहत दल-बदल को रोकने हेतु संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी। जिसमें 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुनः संशोधन किया गया।

विधायिकाओं के कामकाज के लिये बाधा

① यह सदन के सदस्यों को अपने दल के विरुद्ध बोलने से वंचित करता है, अभिव्यक्ति के अधिकार को कमज़ोर करता है

② इसके कारण सदस्य अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि की बजाय, राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होकर ही रह जाते हैं।

Good

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

③ बार-बार दल-बदल के मुद्दों के संज्ञान में आने के कारण सदन के पीठासीन अधिकारी पर कार्यों का बोझ बढ़ जाता है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही पर भी प्रभाव पड़ता है

④ जब विधायकों के पास अपने दल के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहता, तब यह कार्यपालिका को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है

⑤ सदस्यों के अनर्ह हो जाने पर बार-बार उपचुनाव कराने पड़ते हैं, जो कि बाधा उत्पन्न करता है

⑥ इस अधिनियम के कारण कानून निर्माण करते समय विधेयक पर विचार-विमर्श करने की परंपरा अब इस कानून के बाद खत्म सी हो जा रही है

• व्हीप की बाध्यता
• निर्दलीय सदस्यों संबंधी प्रावधान

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

⑦ अब सरकार कोई भी विधेयक सदन में पास करा सकती है, भले ही उससे सदस्य सहमत न हों।

बाधा नहीं :-

① दल-बदल के मामले बहुत ज्यादा नहीं आते।

② विधेयक तेजी से पास हो जाते हैं।

③ सरकार का स्थायित्व बना रहता है

④ सदस्यों में अनुशासन बढ़ा है

⑤ दलों की विचारधारा से समझौता करने की प्रवृत्ति घटी है

अतः यदि सदस्यों को अपने दल के प्रस्ताव के विरोध में भी बोलने का अधिकार दे दिया जाए, तो विधि-निर्माण की प्रक्रिया और अधिक तार्किक हो जाएगी।

7½

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. कुशल और पारदर्शी शासन के संघर्ष में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का पद अग्रणी भूमिका में रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

The office of the CAG has been a vanguard in the fight for efficient and transparent governance. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कुशल व पारदर्शी शासन

CAG के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 148 में किया गया है जबकि अनुच्छेद-149 में CAG के कर्त्तव्यों का उल्लेख है।

अग्रणी भूमिका

① केंद्र सरकार की लेखाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना ताकि जनता के प्रतिनिधियों की संस्था (लोकसभा) उसकी समीक्षा कर सके।

② संसद की समिति 'लोक लेखा समिति' के लिये रिपोर्ट की समीक्षा करते समय Friend, Philosopher & Guide के रूप में भूमिका।

③ राज्यों की Accounting एवं Auditing दोनों करता है और रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है,

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

जिसे राज्यपाल 'राज्य विधानसभा' के समक्ष रखवाते हैं।

④ इन Reports के प्रकाश में आने से देश के मीडिया चैनलों, समाचार-पत्र, विद्वानों और सक्रिय नागरिकों के मध्य सरकारी व्यय के मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है।

⑤ सदन के सदस्य भी सरकार से जवाब माँगते हैं और इस कारण से भी सरकार धीरे-धीरे कुशलता व पारदर्शी शासन की दिशा में आगे बढ़ती है।

* कमियाँ → आगे की राह

अतः देश में चाहे 2G Spectrum जैसे घोटाले हों या सरकार द्वारा की जाने वाले Off-Budget Financing हो, इन सभी में CAG द्वारा अग्रणी भूमिका निभाकर अपने लोक वित्त के संरक्षक दायित्व निभाया गया है। 6½

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

17. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'नवीन विशेषताओं' के रूप में वर्णित किया गया है। चर्चा कीजिये कि उन्होंने विभिन्न विधानों के आधार के रूप में कैसे कार्य किया है? (250 शब्द) 15

Directive Principles of State Policy have been described as 'novel features' of the Indian Constitution. Discuss how they have served as a basis for various legislations? (250 words) 15

भारतीय संविधान में 'नीति निदेशक तत्व' आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किये गये, जो कि राज्य के लिये मार्गदर्शक व आदर्श के रूप में कार्य कर देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।

Novel Features

① वंचित वर्गों हेतु निः शुल्क एवं अनिवार्य कानूनी सहायता (Art-39 'A')

② सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को रोकना।

③ लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, एवं उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी।

④ Uniform Civil Code

⑤ वंचित वर्गों, विशेषतः SC, ST के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु कार्य

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(6) मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना।

(7) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

(8) ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण

(9) न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण

(10) अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा।

विभिन्न विधानों का आधार

(1) Art-39 'A' को आधार बनाकर Legal Service Authority Act, 1987

(2) वंचित वर्गों का उत्थान (Art-46) से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright - Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(3) Art-46 = पोषाहार हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

(4) Art-42 = प्रसूति सहायता हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम

(5) Art-39 = बच्चों की सुकुमार अवस्था के संरक्षण हेतु, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 2016

(6) Art-48 'A' = पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

अतः DPSP भारत में विभिन्न लोककल्याणकारी कानूनों के निर्माण हेतु राज्य का मार्गदर्शन कर रहा है।

Good.

V. Good

8

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright - Drishti The Vision Foundation

18. सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically analyze the role of pressure groups in influencing the policies of the government.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अपने हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न नैतिक व अनैतिक मार्गों का सहारा लेने वाले समूहों को दबाव समूह कहा जाता है। ये समूह अपने हितों की सुरक्षा हेतु सरकार पर दबाव बनाते हैं

सकारात्मक भूमिका

① मज़बूत किसान शक्ति संगठन ने दबाव समूह के रूप में कार्य कर सरकार को RTI ACT लाने पर मजबूर किया।

② अन्ना आंदोलन ने भी दबाव समूह के रूप में किया, जिसने सरकार पर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को पारित करने हेतु दबाव डाला और सफल रहा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

③ 'चिपको आंदोलन' भी दबाव समूह के रूप में ही था, जिसने सरकार को वृक्ष न काटने का आदेश देने हेतु बाध्य किया।

नकारात्मक भूमिका

① आरक्षण के विरोध में विभिन्न समुदायों/दबाव समूहों द्वारा रेल की पटरियाँ उखाड़कर, बसें जलाकर सरकार पर अवैध तरीके से अपनी बातें मनवाने हेतु दबाव डालना।

② CAA, 2019 के विरोध कुछ दबाव समूहों द्वारा कानून वापस लेने हेतु सरकार पर दबाव डालने हेतु हिंसा का सहारा लेना।

अतः दबाव समूह की सकारात्मक भूमिका का स्वागत किया जाना चाहिए, किन्तु यदि दबाव समूह अनैतिक या

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

अवैधानिक तरीकों से अपनी माँगें अपनाने हेतु हिंसा आदि का सहारा ले रहा है, तो उसके विरुद्ध Zero Tolerance की नीति अपनानी चाहिए।

Good

7

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

19. भारत में हाल ही में शुरू किये गए कुछ चुनावी सुधार कौन-से हैं? जहाँ तक चुनावी सुधारों का संबंध है, आपके अनुसार किन मुद्दों का समाधान किया जाना बाकी है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है; इसे सुनिश्चित करने हेतु भारत में हाल ही में अनेक चुनावी सुधार लागू या प्रस्तावित हुये हैं।

हालिया चुनाव सुधार -

1. EVM के साथ VVPAT को जोड़ना।
2. NOTA के विकल्प को प्रत्यक्ष चुनावों में लागू करना।
3. प्रस्तावित विधेयक
   - Aadhar Card को Voter Card से Link कर Duplication को खत्म करना
   - Service Voter में 'पति' शब्द को हटाकर 'Spouse' को शामिल करने का प्रस्ताव।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

④ उम्मीदवार द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अपनी आय/सम्पत्ति की घोषणा करना।

⑤ शपथ-पत्र में Criminal Record को उजागर करना।

निम्नलिखित मुद्दों का समाधान किया जाना बाकी है-

① राजनीति के अपराधीकरण को रोकना।

② जेल में बंद आरोपियों को Vote डालने का अधिकार देना।

③ NRI को भारतीय दूतावास में वोट डालने का अधिकार देना।

④ चुनावों में धन-बल का प्रयोग रोकना।

* सलाह/आगे की राह → Add करें।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

अतः चुनाव सुधारों की गति तेज कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देकर 'स्वस्थ लोकतंत्र' को बढ़ावा दिया जा सकता है।

* मॉडल उत्तर का अवलोकन करें।

6½

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। इस संशोधन प्रक्रिया की अक्सर आलोचना क्यों की जाती है? (250 शब्द) 15

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why has this amendment procedure been often criticized? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अनुच्छेद- 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को 'दक्षिण अफ्रीका' के संविधान से ग्रहण किया गया है

प्रक्रिया

① संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुत द्वारा संशोधन,
जैसे - मूल अधिकारों, DPSP आदि में

② संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन द्वारा संशोधन,
जैसे - संघवाद से जुड़े मुद्दे (eg- GST)

③ अन्य विशेषताओं का उल्लेख करें → मॉडल उत्तर देखें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

अक्सर आलोचना क्यों?

① संशोधन की प्रक्रिया का केन्द्र की ओर अधिक झुकाव, राज्यों को काफी सीमित शक्तियाँ।

② सरल प्रक्रिया, जिसके कारण अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं जबकि USA जैसे देशों में [redacted] संशोधन हुये पिछले 300 वर्षों में। बहुत कम

③ सरकार की इच्छा पर निर्भर क्योंकि दल-बदल कानून के कारण सदस्य व्हिप के विरोध में मतदान नहीं कर सकते।

④ राष्ट्रपति हेतु मंजूरी देना बाध्यकारी है।

किन्तु, इन सब के बाद भी यह तो स्पष्ट है कि पिछले 72 वर्षों में जितने भी संशोधन हुये हैं, उनमें

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

से एकाध अपवाद को छोड़ दें, तो अधिकांश 'भारतीय संविधान' की आत्मा के अनुरूप है; इसके अलावा संसद की भी यह शक्ति सीमित है, वह संविधान के आधारभूत ढाँचे में संशोधन नहीं कर सकती।

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये। (Candidate m... write on this ...)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation